

ट्रांसफर एक्ट की जगह नयिमावली बनाकर शिक्षकों का तबादले पर अधिकार खत्म करने की तैयारी

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2023 को उत्तराखण्ड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सहि रावत ने बताया कि उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों के लिये एक्ट की जगह नयिमावली बनाकर शिक्षकों के तबादले के अधिकार को खत्म करने की तैयारी की जा रही है।

प्रमुख बंदि

- शिक्षा मंत्री डॉ. धन सहि रावत ने बताया कि शासन की ओर से सचवि समति के पास हरयाणा की तर्ज पर बन रही नयिमावली का जो ड्राफ्ट रखा जाना है, उसमें स्पष्ट लिखा है तबादला शिक्षक का अधिकार नहीं माना जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में पारदर्शी तबादले राज्य गठन के बाद से सरकारों के लिये चुनौती बने रहे हैं। मनमाने तबादलों को लेकर राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। यही वजह रही कि सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिये वर्ष 2012 में बनी तबादला नीति को खत्म कर वर्ष 2017 में तबादला एक्ट बनाया, जसि शिक्षा विभाग के साथ ही सभी विभागों के लिये वर्ष 2018 से लागू किया गया, लेकिन सरकार फरि नयिमावली बनाने जा रही है।
- शिक्षा विभाग की ओर से अब इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें शिक्षकों के तबादलों के लिये स्कूलों को दो क्षेत्रों (पर्वतीय और मैदानी) में बांटा गया है। ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि तबादलों के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जसिमें अनविर्य तबादले शिक्षकों के गुणों के आधार पर वरीयता क्रम में उपलब्ध खाली पदों पर किये जाएंगे। जबकि अनुरोध के आधार पर विशेष श्रेणी के शिक्षकों के तबादले होंगे।
- जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर पुंडीर ने बताया कि एक्ट से दुर्गम से सुगम क्षेत्र के स्कूल में तबादले की उम्मीद रहती है। यदि एक्ट की जगह नयिमावली बना दी गई तो अधिकारियों और मंत्रियों की परकिरमा करने वाले चहेते शिक्षक ही सुवधाजनक स्कूलों में तबादला जाएंगे।